झारखण्ड सरकार

उपायुक्त का कार्यालय, (जिला नजारत शाखा) गिरिडीह।

पुनः अतिअल्पकालीन निविदा

कैन्टीन निलामी सूचना

सर्वसाधारण के सूचित किया जाता है कि समाहरणालय परिसर में नवर्निमित कैन्टीन Size (15X10) की निलामी खुली डाक द्वारा दिनांक –25.11.2016 को 2:00 बजे अपराहन समाहरणालय सभाकक्ष मे की जायेगी।

इच्छुक उम्मीदवार www.giridih.nic.in से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर विहित प्रपत्र में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट अथवा स्वयं दिनांक –25.11.2016 को 12:00 बजे मध्यान् तक आवेदन पत्र जिला नजारत शाखा गिरिडीह में जमा कर सकते है।

उपायुक्त,
गिरिडीह।

ज्ञापांक 495 /नजा0, दिनांक 18/11/16 ।

प्रतिलिपि :– स्थानीय संपादक प्रभात खबर तथा हिन्दुस्तान, गिरिडीह को सूचनार्थ कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त सूचना का न्यूनतम साईज में दिनांक– 19.11.2016 को प्रकाशन कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी गिरिडीह को सूचनार्थ एवं निविदा की सूचना को जिला के बेवसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/11/16

उपायुक्त,
गिरिडीह।

उपायुक्त का कार्यालय, (जिला नजारत शाखा) गिरिडीह।

निलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि समाहरणालय परिसर में नवनिर्मित कैन्टीन की निलामी खुली डाक द्वारा दिनांक –25.11.2016 को 2:00 बजे अप0 समाहरणालय सभाकक्ष में की जायेगी।

निलामी की शर्ते :–

1. नवनिर्मित कैन्टीन Size 15X10 की निलामी में भाग लेने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ 15000.00 पन्द्रह हजार रूपये की प्रतिभूति राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो उपायुक्त गिरिडीह के पद नाम से भुगतेय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र एवं प्रतिभूति राशि दिनांक –25.11.2016 को 12 बजे दिन तक जिला नजारत शाखा गिरिडीह मे प्राप्त किया जाया।
3. निर्धारित समय के बाद आवेदन पत्र एवं प्रतिभूति राशि स्वीकार नहीं की जाएगी।
4. प्रतिभूति राशि जमाकर्ता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि ही कैन्टीन निलामी में भाग ले सकते है।
5. यह निलामी वित्तीय वर्ष 2016–17 के अवशेष अवधी वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिए की जाएगी। उच्चतम डाक वक्ता को वित्तीय वर्ष 2016–17 के अवशेष अवधि का मासिक किराया एक सप्ताह के अन्दर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो उपायुक्त, गिरिडीह के पदनाम से भुगतान हो जमा करना होगा।
6. वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 का मासिक किराया प्रत्येक वर्ष के 15 अप्रेल तक एक मुस्त राशि जमा करना अनिर्वाय होगा। ऐसा नहीं करने पर अधिकतम डाक वक्ता की प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जाएगी, एवं द्वितीय अधिकतम डाकवक्ता को कैंटीन आवंटित करने की कार्रवाई की जायेगी।
7. कैन्टीन का न्यूनतम डाक 4000.00 (चार हजार) रूपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।
8. बिना कारण बताये कैन्टीन की नीलामी को स्थगित करने तथा रदद करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
9. कैन्टीन के आसपास साफ–सफाई डाकवक्ता को अपने खर्च पर करना होगा।
10. कैन्टीन मे विधुत कनेक्शन एवं विधुत विपत्र का भुगतान डाक वक्ता को स्वंय करना होगा।
11. डाकवक्ता के द्वारा आयकर सेवा कर एवं वाणिज्यकर नियमानुसार भुगतान करना होगा।
12. अधिकतम डाकवक्ता के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर बिना कारण बताये किसी भी समय निलामी/एकरारनामा रदद की जा सकती है।
13. अधिकतम डाकवक्ता को कैन्टीन आवंटित करने के पूर्व जिला प्रशासन के साथ एकरारनामा करना होगा।
14. डाकवक्ता 100.00(एक सौ) रूपये से कम का डाक बोली नहीं लगा सकता है।

18/11/16

उपायुक्त

गिरिडीह।

आवेदन पत्र

(कैंटीन नीलामी हेतु)

(29)

1. आवेदक का नाम :...

2. पिता/पति का नाम :...

3. मोबाइल नम्बर : ....

4. स्थायी पता : ....

....

....

5. वर्तमान पता ....

....

....

6. आधार/वोटर कार्ड संख्या : ....

(स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न)

7. बैंक ड्राफ्ट की विवरणी –

बैंक का नाम : ....

बैंक ड्राफ्ट सं. .... दिनांक ....

स्थान : ....

दिनांक : .... आवेदक का हस्ताक्षर